न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 588/2020 जीसीएमएस नम्बर 2020/00487

1. साधूराम दत्तक पुत्र घीसा जाति जाट निवासी हनुतपुरा उर्फ रूड़ी खोरा लाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. बंशीधर पुत्र गोविन्दा
2. भंवरलाल पुत्र गोविन्दा
3. रामदेव पुत्र गोविन्दा
4. श्यामलाल पुत्र गोविन्दा
   समस्त जाति जाट हनुतपुरा उर्फ रूडी खोरा लाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्

6. केसरी देवी पुत्री घीसाराम
7. मन्नी देवी पुत्री घीसाराम
8. सीताराम पुत्र नारायण
   समस्त जाति जाति जाट निवासी हनुतपुरा उर्फ रूडी खोरा लाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–तरतीबी रेस्पोडेन्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 25–06–2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर बमुकदमा संख्या 47/2018 उनवानी श्रवण बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित–
1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट
2. श्री लालचन्द जाट रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 4 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–02.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 25.06.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूण्डी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 2650 रकबा 0.57 है0 का रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की माता श्रवणी देवी पत्नी गोदा उर्फ गोविन्दा ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार शाहपुरा को मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2013 के अनुसार भूमि मौके पर खाली होने पर नियमानुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिनांक 25.06.2018 को दिया।

3. उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 25.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट साधूराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक 25.06.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूण्डी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 2650 रकबा 0.57 है0 का पूर्व में सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2013 के आधार पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की माता श्रवणी देवी पत्नी गोदा उर्फ गोविन्दा द्वारा पत्थरगढी का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में स्वीकार फरमा दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कार्यालय रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट तलब किये दिनांक 25.06.2018 को आवेदन स्वीकार कर पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समीपस्थ खातेदारान् को पक्षकार बनाये बिना एवं प्रार्थीगण की विधिवत तामिल नहीं कराई गई है एवं पूर्व में सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर एक ही दिन में निर्णय पारित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जॉच एवं तहसीलदार रिपोर्ट के बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधि सम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर दिनांक 25.06.2018 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूण्डी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 2650 रकबा 0.57 है0 भूमि के प्रार्थीगण एकमात्र काश्तकार खातेदार है एवं काबिज होकर काश्त करते चले आ रहा है जिसमें अपीलांट की खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है। उक्त भूमियों की सुरक्षार्थ, पुख्ता सींव एवं तारबंदी करने हेतु प्रार्थी द्वारा विधिवत तहसीलदार शाहपुरा के सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2013 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी का आवेदन किया गया । तहसीलदार की जॉच पश्चात पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार की गई। फिर भी अपीलांट ने बेदखल करने की नियत से सींव को खुर्दबुर्द कर रहे हैं जबकि प्रार्थी ने नियमानुसार ही अपनी खातेदारी भूमि की विधिक अधिकारों के तहत् पत्थरगढी करवाने हेतु निवेदन किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित जॉच व रिकॉर्ड के अवलोकन पश्चात् पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड अवलोकन पश्चात् रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर उचित एवं विधि सम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 14.02.2020 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 की माता श्रवणी देवी पत्नी गोदा उर्फ गोविन्दा द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 2650 रकबा 0.57 है0 की पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 12.06.2013 के अनुसार भूमि मौके पर खाली होने पर नियमानुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिनांक 25.06.2018 को दिया। इस न्यायालय में अपीलांट साधूराम दत्तक पुत्र घीसा ने कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि के पडौसी खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समीपस्थ खातेदारान् को पक्षकार बनाये बिना एवं प्रार्थीगण की विधिवत तामिल कराये बिना एवं पूर्व में सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर एक ही दिन में निर्णय पारित किया है ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 25.06.2018 निरस्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर गुण–दोष के आधार पर पुनः विधिसम्वत् निर्णय पारित करें एवं पत्थरगढी के दौरान खातेदार को उसकी खातेदारी की भूमि से बेदखली की कार्यवाही न की जावे।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।